

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं० : 17/18

अनवान :

1. चानग
2. छोदराम
3. सुलतान
4. केशराम
5. रामकुमार

पिसरान रामूराम जाति नाई निवासीगण ढाणी बेरवाल
तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादीगण

बनाम

1. महागोर पुत्र श्री रामूराम जाति नाई निवासी ढाणी बेरवाल।
2. नरम पत्नी रामूराम जाति नाई निवासी ढाणी बेरवाल।
3. भंवर देवी
4. बिमला
5. शारदा
6. कलवती
7. सन्देखी

पुत्रियान रामूराम जाति नाई निवासी ढाणी बेरवाल
तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक व रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राजकाशत अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री धर्मपाल बेरवाल : वादीगण

निर्णय

दिनांक : 2/12/18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी सं० 2 के पति व अन्य प्रतिवादीगण के पिता रामू वल्द कौम नाई की खातेदारी कृषि भूमि चक 1 बीएचपी के खाता सं० 204/202 के मु०नं० 14 के किला नं० 4 की 0.0510 है० गै०मु० रास्ता 0.013 है० किला नं० 7 की 0.253 है० किला नं० 8 की 0.177 है० गै०मु० रास्ता 0.013 है० किला नं० 9 की 0.102 है० गै०मु० रास्ता 0.013 है० किला नं० 11 की 0.202 है० गै०मु० रास्ता 0.013 है० किला नं० 12 ता 14, 17 ता 24 प्रत्येक किला की 0.253 है० कुल किता 16 की 3.5680 है० बारानी 3.5160 है० गै०मु० रास्ता 0.0520 है० मु०नं० 15 के किला नं० 15 की 0.0510 है० गै०मु० रास्ता 0.0130 है० किला नं० 16, 25 की सम्पूर्ण प्रत्येक गै०मु० रास्ता 0.025 है० कुल किता 3 की 0.5570 है० बारानी 0.4940 है० गै०मु० रास्ता 0.063 है० मु०नं० 16 के किला नं० 5, 6 सम्पूर्ण प्रत्येक में गै०मु० रास्ता 0.025 है० कुल किता 2 की 0.506 है० बारानी 0.456 है० गै०मु० रास्ता 0.050 है० मु०नं० 17 के किला नं० 1 ता 4, 7 ता 10 सम्पूर्ण कुल किता 8 की 2.024 है० मु०नं० 72 के किला नं० 21 की 0.177 है० किला नं० 22 की 0.253 है० मु०नं० 95 के किला नं० 1 की 0.177 है० 2 की 0.253 है० किला नं० 10/1 की 0.062 है० कुल किता 3 की 0.492 है० नहरी 0.430 है०, बारानी 0.062 है० कुल किता 34 की 7.577 है० नहरी 0.430 है० बारानी 6.982 है० गै०मु० रास्ता 0.165 है० एवं चक 4एमएसआर के खाता सं० 93/92 के मु०नं० 35 के किला नं० 15 की 0.164 है० कुल किता 1 की 0.164 है० बारानी, मु०नं० 56 के किला नं० 5 की 0.164 है० किला नं० 6 की 0.164 है० किला नं० 14 की 0.253 है० किला नं० 15 की 0.164 है० किला नं० 16 की 0.164 है० किला नं० 17 की 0.253 है० कुल किता 6 की 1.162 है० नहरी कुल खसरा 7 की 1.326 है० नहरी, 1.162 है० बारानी 0.164 है० खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि का वादीगण के पिता ने वाहमी बंटवारा कर वादीगण व प्रतिवादी सं० को काश्त करने के लिए दे दी थी। प्रतिवादीया सं० 2 वृद्ध औरत है व वाद भूमि काश्त नहीं करती। प्रतिवादीया सं० 2 ता 7 की शादी अच्छे घरों में की हुई है और उन्होंने वाद भूमि को वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 के पक्ष में अपना हक तर्क कर रखा है। वादीगण के पिता रामुराम की दिनांक 10.01.2010 को मृत्यु को चुकी है उसकी मृत्यु के बाद 12वें दिन प्रतिवादी सं० 2 ता 7 ने अपना हक व हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 के पक्ष में तर्क कर दिया था वाद भूमि पर वादी के पिता द्वारा लिया गया कृषि ऋण भी वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 ने चुकाया है।

वाद भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 ही बहिस्सा बराबर काश्त करते आ रहे हैं व वाद भूमि का लगान भी संयुक्त रूप से अदा करते आ रहे हैं लेकिन वाद भूमि अभी भी रामू वल्द मैदा के नाम से दर्ज चली आ रही है इसलिए वादीगण न्यायालय से यह घोषणा करवाने के कानूनी अधिकारी है कि वाद भूमि के वादीगण व प्रतिवादी सं० बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है और प्रतिवादीया सं 2 ता 7 ने अपना हक व हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 के पक्ष में तर्क कर रखा है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं० 1 ता 7 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादीगण में वादी चानण व हरिसिंह के सशपथ बयान करवाये गये। दस्तावेज साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 1बीएचपी खाता सं० 204/202 सम्बत् 2074 सा 77 प्रदर्श 1, प्रमाणित चित्रप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 4 एमएसआर खाता सं० 93/92 सम्बत् 2071/74 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये एवं चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र रामुराम का पेश किया।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि विवादित कृषि भूमि वादीगण के पिता रामु वल्द मैदा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादीगण के पिता की मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने अपने पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र व प्रदर्श 3 वारिस प्रमाण पत्र से वादीगण के पिता की मृत्यु होना व वादीगण मृतक रामु के विधिक वारिसान होना साबित है एवं वादी चानण एवं एक अन्य व्यक्ति हरीसिंह ने अपने सशपथ बयानों में वादीगण के दावा की पुष्टि की है एवं वादीगण के दावा का कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं हुआ है।

सात : वाद वादीगण डिक्री योग्य होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 1 बीएचपी के खाता सं० 204/202 के मु०नं० 14 के किला नं० 4 की 0.0510 है० गै०मु० रास्ता 0.013 है० किला नं० 7 की 0.253 है० किला नं० 8 की 0.177 है० गै०मु० रास्त 0.013 है० किला नं० 9 की 0.102 है० गै०मु० रास्ता 0.013 है० किला नं० 11 की 0.202 है० गै०मु० रास्ता 0.013 है० किला नं० 12 ता 14, 17 ता 24 प्रत्येक किला की 0.253 है० कुल किला 16 की 3.5680 है० बारानी 3.5160 है० गै०मु० रास्ता 0.0520 है० मु०नं० 15 के किला नं० 15 की 0.0510 है० गै०मु० रास्ता 0.0130 है० किला नं० 16, 25 की सम्पूर्ण प्रत्येक गै०मु० रास्ता 0.025 है० कुल किला 3 की 0.5570 है० बारानी 0.4940 है० गै०मु० रास्ता 0.063 है० मु० नं० 16 के किला नं० 5, 6 सम्पूर्ण प्रत्येक में गै०मु० रास्ता 0.025 है०

कुल किता 2 की 0.506 है0 बारानी 0.456 है0 गै0मु0रास्ता 0.050 है0 मु0नं0 17 के किला नं0 1 का 4, 7 ता 10 सम्पूर्ण कुल किता 8 की 2.024 है0 मु0नं0 72 के किला नं0 21 की 0.177 है0 किला नं0 22 की 0.253 है0 मु0नं0 95 के किला नं0 1 की 0.177 है0 2 की 0.253 है0 किला नं0 10/1 की 0.062 है0 कुल किता 3 की 0.492 है0 नहरी 0.430 है0, बारानी 0.062 है0 कुल किता 34 की 7.577 है0 नहरी 0.430 है0 बारानी 6.982 है0 गै0मु0 रास्ता 0.165 है0 एवं चक 4एमएसआर के खाता सं0 93/92 के मु0नं0 35 के किला नं0 15 की 0.164 है0 कुल किता 1 की 0.164 है0 बारानी, मु0नं0 56 के किला नं0 5 की 0.164 है0 किला नं0 6 की 0.164 है0 किला नं0 14 की 0.253 है0 किला नं0 15 की 0.164 है0 किला नं0 16 की 0.164 है0 किला नं0 17 की 0.253 है0 कुल किता 6 की 1.162 है0 नहरी कुल खसरा 7 की 1.326 है0 नहरी, 1.162 है0 बारानी 0.164 है0 खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में रामु के नाम दर्ज भूमि के वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 2 ता 7 ने विवादित कृषि भूमि में से अपने हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्य व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद की जावे। खर्चा व द उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ..21.2.18..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजकुमार कस्वा)

R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी

भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएस

प्रकरण सं० 17/18

अनवान :

1. चाण
2. छोटाराम
3. सुगतान
4. केदारराम
5. रामकुमार

पिसरान रामूराम जाति नाई निवासीगण ढाणी बेरवाल
तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।


- वादीगण

बनाम

1. महावीर पुत्र श्री रामूराम जाति नाई निवासी ढाणी बेरवाल।
 2. नरमा पत्नी रामूराम जाति नाई निवासी ढाणी बेरवाल।
 3. भंवरीदेवी
 4. बिलाल
 5. शादा
 6. कलावती
 7. सन्तोखी
- पुत्रियान रामूराम जाति नाई निवासी ढाणी बेरवाल
तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री धर्मपाल बेरवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं डिक्री योग्य होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 1 बीएचपी के खाता सं० 204/202 के मु०नं० 14 के किला नं० 4 की 0.0510 है० गै०मु० रास्ता 0.013 है० किला नं० 7 की 0.253 है० किला नं० 8 की 0.177 है० गै०मु० रास्त 0.013 है० किला नं० 9 की 0.102 है० गै०मु० रास्ता 0.013 है० किला नं० 11 की 0.202 है० गै०मु०रास्ता 0.013 है० किला नं० 12 ता 14, 17 ता 24 प्रत्येक किला की 0.253 है० कुल कित्ता 16 की 3.5680 है० बारानी 3.5160 है० गै०मु०रास्ता 0.0520 है० मु०नं० 15 के किला नं० 15 की 0.0510 है० गै०मु०रास्ता 0.0130 है० किला नं० 16, 25 की सम्पूर्ण प्रत्येक गै०मु०रास्ता 0.025 है० कुल कित्ता 3 की 0.5570 है० बारानी 0.4940 है० गै०मु० रास्ता 0.063 है० मु०नं० 16 के किला नं० 5, 6 सम्पूर्ण प्रत्येक में गै०मु० रास्ता 0.025 है० कुल कित्ता 2 की 0.506 है० बारानी 0.456 है० गै०मु०रास्ता 0.050 है० मु०नं० 17 के किला नं० 1 ता 4, 7 ता 10 सम्पूर्ण कुल कित्ता 8 की 2.024 है० मु०नं० 72 के किला नं० 21 की 0.177 है० किला नं० 22 की 0.253 है० मु०नं० 95 के किला नं० 1 की 0.177 है० 2 की 0.253 है० किला नं० 10/1 की 0.062 है० कुल कित्ता 3 की 0.492 है० नहरी 0.430 है०, बारानी 0.062 है० कुल कित्ता 34 की 7.577 है० नहरी 0.430 है० बारानी 6.982 है० गै०मु० रास्ता 0.165 है० एवं चक 4एमएसआर के खाता सं० 93/92 के मु०नं० 35 के किला नं० 15 की 0.164 है० कुल कित्ता 1 की 0.164 है० बारानी, मु०नं० 56 के किला नं० 5 की 0.164 है० किला नं० 6 की 0.164 है० किला नं० 14 की 0.253 है० किला नं० 15 की 0.164 है० किला नं० 16 की 0.164 है०



R/S

चानण आदि बनाम महावीर आदि पर्चा डिक्री

किला नं० 17 की 0.253 है० कुल किता 6 की 1.162 है० नहरी कुल खसरा 7 की 1.326 है० नहरी, 1.162 है० बारानी 0.164 है० खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में रामु के नाम दर्ज भूमि के वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 बहिस्सा बराबर के खातेदार काशकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं० 2 ता 7 ने विवादित कृषि भूमि में से अपने हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 के पक्ष में त्याग दिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्य व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना रहन करें।

इह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21.2.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(राजकुमार कस्वा)

R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी

भादरा, जिला हनुमानगढ़